

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर
क्रमांक:एफ10(न.पा.)(ब.घो)(क्रमोन्नत) / डीएलवी/ 24/ २८५। दिनांक:-०२/०९/२०२४

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 329 संपर्कित धारा 337 की शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि एवं बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय प्रभिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए राज्य सरकार इन द्वारा नगर परिषद पाली (जिला-पाली) को नगर निगम पाली में क्रमोन्नत किया जाता है। यह प्रभिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से।


(सुरेश कुमार श्रीओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ10(न.पा.)(ब.घो)(क्रमोन्नत) / डीएलवी/ 24/ २८५२-८० दिनांक:-०२/०९/२०२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
- २ निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज० विभाग जयपुर।
- ३ निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज० सरकार, जयपुर।
- ४ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
- ५ निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग शासन सचिवालय राज.जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु।
- ६ राजनीतीय आयुक्त, समस्त राजस्थान। जिला कलेक्टर, पाली/भीलवाडा।
- ७ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राज. जयपुर।
- ८ नेत्री सचिव, आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज.जयपुर।
- ९ निदेशक/अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राज० जयपुर को राज. राजपत्र के भाग (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
- १० निदेशक जनगणना विभाग, राज० जयपुर।
- ११ निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
- १२ वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
- १३ रामस्त अधिकारीगण/अनुभाग निदेशालय।
- १४ उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- १५ उप निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय जा मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के क्रम में
- १६ मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
- १७ आयुक्त नगर निगम/ परिषद पाली /भीलवाडा।
- १८ कनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- १९ नाडिल अधिकारी, निदेशालय को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- २० मुरक्षित पत्रावली।


(लक्ष्मीराज जायस्वल)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी